Sixteenth Loksabha

an>

Title: Issue related to the Lohar Community for whom the Bihar goverment proposed Scheduled Tribes (ST) category status.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

बिहार में लोहार जाति की आरक्षण श्रेणी अंग्रेजी और अनुवाद में उलझकर रह गई थी। तब अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत क्रमांक–22 पर दर्ज Lohara, Lohra की हिंदी 'लोहार' 'लोहारा' अंकित की गई। वर्ष 2006 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में इसके स्थान 'लोहारा', 'लोहरा' प्रतिस्थापित कर दिया गया।

संशोधन एक्ट 48/2006 की वजह से मामला उलझ गया है। बिहार सरकार ने इस खामी को दूर करने के इरादे से विभिन्न संगठनों से परामर्श किया तथा सामाजिक संस्थानों से इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा। इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय हो इसके पहले ही केन्द्र सरकार ने 9 मई, 2016 को जारी गजट अधिसूचना में 229 पुराने कानून संशोधन विधेयक में से 290 को निरस्त कर दिया। इसी में वर्ष 2006 का वह संशोधन विधेयक भी था जिसमें बिहार की लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति माना गया था। वर्ष 2006 का संशोधन अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 में किया गया जिसमें अंग्रेजी के लोहारा का हिन्दी ट्रांसलेशन लोहार दर्ज है। बिहार में बोलचाल की भाषा में लोहार जाति के लिए लोहरा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अंग्रेजी में सुरेन्द्रा को हिन्दी में सुरेन्द्र कहते हैं न कि सुरेन्द्रा। पूर्व की सरकार ने जातिगत राजनीति करने के ख्याल से देश को जातियों के आधार पर बांटा है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही हमारे लोहार भाई-बहनों को इंसाफ दिलाने में अग्रसर है।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।